संख्या-19/2019/200 ई-2/तेरह-2019-02/2018टीसी

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 02 फरवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी दुकानों का ऑनलाइन व्यवस्थापन/नवीनीकरण किये जाने के क्रम में आवेदकों से धनराशियां प्राप्त किये जाने हेतु बैंक में एक केन्द्रीयकृत विभागीय खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5838/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2018-19, दिनांक 23 जनवरी 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आबकारी दुकानों का ऑनलाइन व्यवस्थापन/नवीनीकरण किये जाने के क्रम में आवेदकों से धनराशियां प्राप्त किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 04.12.2018 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में खोले गये केन्द्रीयकृत विभागीय बचत खाता को उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), मुख्यालय के साथ संयुक्त रूप से संचालित करने हेतु सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय के स्थान पर वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्यालय को नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव/अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 04.12.2018 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), मुख्यालय तथा सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय के पदनाम से खोले गये केन्द्रीयकृत विभागीय बचत खाता को उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), मुख्यालय के साथ संयुक्त रूप से संचालित करने हेतु सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय के स्थान पर वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्यालय को नामित किया जाता है। बैंक खाते के संचालन हेतु शासनादेश दिनांक 04.12.2018 व शासनादेश दिनांक 24.01.2019 द्वारा पूर्व में अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-34/दस-2019, दिनांक 01 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

4- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/2019/200(1) ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।